राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1475/2024

डॉ. हिमांशु फुलवारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायमी राज (चिकित्सा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एण्ड परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जे. एस. गौतम, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी को जिला चिकित्सालय, अमृतकौर, ब्यावर, जिला अजमेर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में जिला चिकित्सालय, ब्यावर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय, ब्यावर से जिला चिकित्सालय, बालोतरा, जिला बालोतरा में बिना किसी प्रशासनिक कारणों के 250 कि.मी. दूर किया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को यात्रा–भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। राजस्थान पंचायत राज विभाग के परिपत्र दिनांक 02.10.2010 के नियम 8 (iii) के तहत् पंचायत राज विभाग की बिना सहमति के एक जिले से दूसरे जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज विभाग के नियम 8 (iii) का उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11862/2017 समलता

बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी इसके समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित रहने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला चिकित्सालय, ब्यावर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय, ब्यावर से जिला चिकित्सालय, बालोतरा, जिला बालोतरा में मुख्यमंत्री कार्यालय से सहमति प्राप्त कर एवं नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा–भत्ता देते हुए प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)